न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.

(1) पंचायत निगरानी संख्या : 05/2021 जीसीएमएस नम्बर : 2021/9

प्रार्थीया:-	बनाम	अप्रार्थीगण :-
1. नारायणलाल पुत्र भेराराम जाति घांची निवासी रानीकला तहसील रानी जिला पाली		1. वनाराम पुत्र भेराराम, जाति घांची, निवासी रानीकला, तहसील रानी, जिला पाली 2. सरपंच, ग्राम पंचायत रानीकलां तहसील रानी

(2) पंचायत निगरानी संख्या : 19/2021 जीसीएमएस नम्बर : 2021/42

प्रार्थीया:-	बनाम	अप्रार्थीगण :-
1. विकास अधिकारी, पंचायत समिति रानी, जिला पाली		1. सरपंच, ग्राम पंचायत रानीकलां 2. वनाराम/भेराजी घांची निवासी रानीकलां तहसील रानी

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994"

उपस्थिति :-

1. अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, प्रार्थी नारायणलाल की ओर से (पंचायत निगरानी संख्या 05/2021)
2. विकास अधिकारी पंचायत समिति रानी (पंचायत निगरानी संख्या 19/2021)
3. अधिवक्ता श्री के.सी.पंवार, अप्रार्थी वनाराम की ओर से (उक्त दोनो पंचायत निगरानी प्रकरणों में अप्रार्थी वनाराम की ओर से)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राज.)

-: निर्णय :-

दिनांक : 13.8.2024

अधिवक्ता प्रार्थी एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति रानी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दोनो पंचायत निगरानी ग्राम पंचायत रानीकलां द्वारा अप्रार्थी वनाराम पुत्र भेराराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 27 दिनांक 20.12.2019 के विरूद्ध होने के कारण दोनो पंचायत निगरानी को समेकित कर निर्णय पारित किया गया।

उक्त दोनों निगरानी को अलग अलग दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

प्रार्थी नारायणलाल के अधिवक्ता ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी वनाराम दोनो सगे भाई है व दोनो का पुश्तैनी संयुक्त, शामलाती आधिपत्य का भूखण्ड ग्राम रानीकलां में स्थित है, जिसके पडौस उत्तर दिशा में आम रास्ता व दरवाजा, दक्षिण दिशा में अन्य कृषि भूमि, पूर्व दिशा में चुन्नीलाल पुत्र रामाजी कुमावत का प्लॉट एवं पश्चिम दिशा में बाबुलाल पुत्र भेराजी कुमावत का प्लाट स्थित है। जिसका प्रार्थी व अप्रार्थी

अति. जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner

दोनो अपने पिता के समय से उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। अप्रार्थी ने उपरोक्त भूखण्ड को हड़पने की नियत से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पट्टा बनाने हेतु आवेदन पेश किया गया जिस पर मिसल संख्या 3/2015-16 दायर की गयी, जिसकी जानकारी प्रार्थी नारायणलाल को होने पर प्रार्थी ने पट्टा नहीं बनाये जाने हेतु आपत्ति पेश की जिस पर ग्राम पंचायत ने उक्त मिसल में इस आशय का नोट अंकित किया कि सभी भाई बहन मां की सहमति पेश नहीं होने तक कार्यवाही नहीं की जावे एवं मिसल में आगामी कार्यवाही समाप्त कर दी। इसके पश्चात अप्रार्थी ने पुनः ग्राम पंचायत के समक्ष दिनांक 05.11.2019 को जैर भूखण्ड का पट्टा बनाने हेतु आवेदन पेश किया, जिसमें न तो भूखण्ड के पड़ौस दर्ज है और न ही भूखण्ड का नाप अंकित है। जिस पर ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी को गरीब परिवार का सदस्य होने के आधार पर नियम 158 के तहत निःशुल्क पट्टा जारी करने का जैर निगरानी आदेश पारित कर दिया। ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी भूखण्ड के पट्टा बनाने की कार्यवाही को पूर्व में आपत्ति पेश होने पर समाप्त कर दी थी उसके उपरान्त उसी भूखण्ड का पश्चातवर्ती क्रम में पुनः मिसल दायर कर पट्टा जारी करने का ग्राम पंचायत को कोई अधिकार नहीं है। मौके पर आज भी आधे हिस्से पर प्रार्थी नारायणलाल एवं आधे हिस्से पर अप्रार्थी बनाराम काबिज है। अप्रार्थी न तो गरीब व्यक्ति है और न ही पंचायत नियम 158 के तहत पट्टा प्राप्त करने की पात्रता रखता है। इसलिये ग्राम पंचायत की बिना अधिकारिता एवं अवैध कार्यवाही द्वारा जारी जैर निगरानी पट्टे को निरस्त फरमावे।

प्रार्थी विकास अधिकारी पंचायत समिति, रानीकलां ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तत्कालीन सरपंच रानीकलां ने नियम विरूद्ध जैर निगरानी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 158 के तहत जारी किया। नियम 158 के तहत ग्रामीण क्षेत्र के कमजोर वर्ग को रियायती दर पर पट्टा जारी किया जा सकता है, परन्तु जैर निगरानी प्रकरण में अप्रार्थी कमजोर वर्ग से नहीं है क्योकि प्रार्थी का दूसरा पक्का मकान पहले से ही है और वह उसमें निवासरत है। मिसल में दर्ज आदेशिकाए कम्प्युटर से निर्धारित फॉरमेट में तैयार की है, जिसमें खाली जगह रखकर नाम भरे है। कही कॉलम रिक्त है तो कही दिनांक रिक्त है। अतः ऐसे निर्धारित फॉरमेट के आधार पर की गयी सम्पूर्ण कार्यवाही विधिनिरूद्ध प्रतीत होती है। जांच पत्रावलियों से भी यह स्पष्ट होता है कि सारी मिसल कार्यवाही एक ही दिन में तैयार कर आदेशिकाओं में आगे दिनांक अंकित कर खाली जगह भरी गयी। न तो मौका देखा गया और न ही आपत्ति ईश्तहार पर कोई क्रमांक अंकित है। निरीक्षणंकर्ता एवं बयानकर्ता की वल्दियती के सम्बन्ध में कोई जानकारी अंकित नहीं है। ग्राम पंचायत रानीकलां द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में दी गई प्रक्रिया की किसी भी रूप में पालना नही की गई है। ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा अप्रार्थी संख्या 02 को नियम विरूद्ध जारी किया है जिसे खारिज फरमावे।

अप्रार्थी बनाराम के अधिवक्ता ने निगरानी में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुये वक्त बहस कथन किया कि जैर निगरानी भूखण्ड अप्रार्थी बनाराम का पुश्तैनी कब्जासुदा है, जो आबादी भूमि में होने से नियमानुसार जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है। ग्राम

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner

पंचायत रानीकलां की आबादी भूमि डाक बंगले की पीछे खसरा नम्बर 1077/1 भूमि ग्राम रानीकलां के राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन आबादी भूमि दर्ज है जिसमें जैर निगरानी भूखण्ड आया हुआ है जबकि जांच अधिकारी ने गलत रिपोर्ट पेश कर जैर निगरानी भूखण्ड को खसरा संख्या 1077 में स्थित होना बताया है। उक्त निगरानी राजनीतिक द्वेषतावश पेश की गयी है जो बिलकुल गलत व निराधार है। निगरानीकर्ता अप्रार्थी का सगा भाई है जो पारिवारिक कारणों से रंजिश रखता है। ग्राम पंचायत ने पंचायत नियमों की पालना करते हुये नियमानुसार मिसल कायम की जाकर नियम 148 के तहत आपत्ति ईश्तहार जारी करने एवं निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर नियम 158 के तहत जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जो विधिनुसार सही है। अतः उक्त निगरानी निराधार होने से खारिज फरमावे।

उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवं ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत रानीकलां द्वारा अप्रार्थी वनाराम पुत्र भैराराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 27 दिनांक 20.12.2019 के विरूद्ध पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अप्रार्थी वनाराम ने ग्राम पंचायत के समक्ष पुश्तैनी आवासीय प्लॉट/मकान का पट्टा बनाने हेतु दिनांक 05.11.2019 को आवेदन पत्र पेश किया, जिसके आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा मिसल क्रमांक 33/2019–20 कायम की गयी। आज्ञा दिनांक 20.11.2019 के द्वारा स्थल निरीक्षण हेतु तीन वार्ड पंचों की समिति गठित की गयी परन्तु मिसल में केवल दो ही वार्ड पंचों के नाम अंकित किये गये तथा तीसरे वार्ड पंच के नाम का स्थान रिक्त छोड़ा हुआ है जबकि राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 146 (2) के अन्तर्गत – सचिव, ऐसी सभी लम्बित फाइलों को स्थल–निरीक्षण के लिए तीन पंचो की कोई समिति प्रतिनियुक्त करने के लिए पंचायत की आगामी बैठक में रखेगा। सम्पूर्ण मिसल निर्धारित प्रारूप में कम्प्यूटर टाईप है तथा प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का विवरण एक अलग–अलग पेज पर प्रिंट किया हुआ है साथ ही नक्शे पर नक्शा बनाने वाले के हस्ताक्षर ही नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 146 की अक्षरशः पालना नहीं की गयी है।

राज. पंचायती राज. नियम 1996 के नियम 148(2) के अनुसार जारी आपत्ति ईश्तहार दो प्रतियों में तैयार किया जाकर उसकी एक प्रति विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि पर किसी सहजदृश्य स्थान पर लगायी जायेगी, दूसरी प्रति परिक्षेत्र के कम से कम दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के, उसे ऐसे लगाये जाने के प्रमाणस्वरूप हस्ताक्षर होने चाहिये जबकि ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करने के सम्बन्ध में दिनांक 20.11.2019 को जारी आपत्ति ईश्तहार पर न तो ग्राम पंचायत के डिस्पेच नम्बर अंकित है और न ही ग्राम पंचायत की गोल मोहर लगी हुई है। नोटिस की पुश्त पर केवल दो नाम अंकित है उनकी वल्दियति के सम्बन्ध में कोई जानकारी अंकित नहीं है, जिससे यह स्पष्ट नहीं होता कि आपत्ति ईश्तहार कब, कहां, किसके रूबरू चस्पा किया गया। जैर निगरानी भूखण्ड पर आवदेनकर्ता के कब्जा सत्यापन हेतु दो स्वतंत्र व्यक्तियों के बयान भी नहीं लिये गये। जिससे ज्ञात होता

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

Scanned with ACE Scanner

है कि ग्राम पंचायत ने अवैधानिक तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया है जिसे बदस्तूर रखा जाना न्यायोचित नहीं है।

राजस्थान पंचायतीराज नियम 158 के तहत पंचायत, गांव आबादियो में (300 वर्ग गज) तक की आबादी भूमि अनुसूचित जातियों, स्वच्छकारों, अनुसूचित जनजातियों, पिछडे वर्गों के सदस्यों को, गांव के कारीगरों, श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों, विकलांगो, यथावर जनजातियों, गाडिया लुहोरो को, जिनके पास स्वंय के गृहस्थल/गृह नहीं है को रियायती दरों पर आवंटित कर सकेगी परन्तु अधिवक्ता अप्रार्थी ने ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि अप्रार्थी वनाराम नियम 158 के तहत जैर निगरानी पट्टा प्राप्त करने की अधिकारिता रखता हो।

पंचायती राज नियम 1996 की धारा 48(3) के अनुसार "किसी पंचायती राज संस्था का कोई भी सदस्य पंचायती राज संस्था की किसी बैठक में विचार के लिए आने वाले किसी भी प्रशन की चर्चा में मतदान नहीं करेगा या भाग नहीं लेगा, यदि वह ऐसा प्रश्न है, जिसमें जनता पर उसके सामान्य लागूकरण के अलावा उसका कोई भी धनीय हित हो और जब ऐसा प्रश्न विचार के लिए आये, तब वह बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा" जबकि अधिवक्ता प्रार्थी ने वक़्त बहस कथन किया कि अप्रार्थी वनाराम तत्समय वार्डपंच था एवं जैर निगरानी पट्टा की बैठक कार्यवाही में अप्रार्थी ने बतौर सदस्य भाग लिया, जिसकी ताईद दिनांक 20.11.2019 एवं 20.12.2019 की बैठक कार्यवाही रजिस्टर में अप्रार्थी वनाराम की उपस्थिति बाबत् हस्ताक्षर से होती है अर्थात् ग्राम पंचायत ने पंचायतीराज नियमों की अवहेलना करते हुये जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जो खारिज योग्य है।

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत से प्राप्त रेकर्ड का अवलोकन करने पर यह भी पाया कि ग्राम पंचायत के समक्ष पुराने गृहों का विनियमितिकरण नियम 157 के अन्तर्गत पट्टा दिलाने का अप्रार्थी वनाराम के नाम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पंत्र पेश किया गया जिस पर न तो आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर है, न ही किसी दिनांक का अंकन है और न ही उस भूखण्ड की कोई जानकारी अंकित है जिसका पट्टा बनाया जाने हेतु आवेदन पेश किया है। जिसके आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा मिसल संख्या 3/2015–16 कायम की, जिस पर प्रार्थी नारायणलाल द्वारा आपत्ति पेश किये जाने के कारण पूर्व से निर्धारित प्रारूप में कम्प्यूटर टाईप आज्ञा सूची के अन्त में इस आशय का नोट लगाकर कार्यवाही बन्द कर दी की "भाई नारायणलाल घांची कि आपत्ति आने के कारण मिसल जब तक पूरी नहीं होगी तब तक भाई नारायणलाल घांची कि सहमति लिखित में पेश करे साथ में सभी भाई, बहन, मां कि सहमति पेश करने के बाद मिसल आगे चलाई जायेगी।" जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा पूर्व में भी जैर निगरानी भूखण्ड का पट्टा बनाये जाने बाबत् आवेदन पत्र पेश किया था जिस पर प्रार्थी नारायणलाल द्वारा आपत्ति पेश किये जाने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा कार्यवाही बन्द कर दी गयी थी। साथ ही यह भी ज्ञात होता है कि जैर निगरानी भूखण्ड के सम्बन्ध में पूर्व की मिसल पर जिस सरपंच द्वारा कार्यवाही बन्द कर दी गयी थी उसी सरपंच द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया। अर्थात् ग्राम पंचायत ने आप्रार्थी को अनुचित

अति. जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner

लाभ पहुचानें की नियत से जैर निगरानी पट्टा जारी किया है जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी वनाराम ने ग्राम पंचायत के समक्ष पुश्तैनी आवासीय प्लॉट/मकान का पट्टा बनाने हेतु आवेदन पत्र पेश किया, जिसके आधार पर मिसल कायम की गयी। मिसल में केवल दो ही वार्ड पंचों के नाम अंकित किये गये तथा तीसरे वार्ड पंच के नाम का स्थान रिक्त छोडा हुआ है। सम्पूर्ण मिसल निर्धारित प्रारूप में कम्प्यूटर टाईप है तथा प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का विवरण एक अलग–अलग पेज पर प्रिंट किया हुआ है एवं नक्शे पर नक्शा बनाने वाले के हस्ताक्षर ही नहीं है। ग्राम पंचायत जारी आपत्ति ईश्तहार पर न तो ग्राम पंचायत के डिस्पेच नम्बर अंकित है और न ही ग्राम पंचायत की गोल मोहर लगी हुई है। नोटिस की पुश्त पर केवल दो नाम अंकित है उनकी वल्दियति के सम्बन्ध में कोई जानकारी अंकित नहीं है, जिससे यह स्पष्ट नहीं होता कि आपत्ति ईश्तहार कब, कहां, किसके रूबरू चस्पा किया गया। साथ ही अधिवक्ता अप्रार्थी ने ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि अप्रार्थी वनाराम नियम 158 के तहत जैर निगरानी पट्टा प्राप्त करने की अधिकारिता रखता हो। ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियम 1994 की धारा 48(3) की अवहेलना करते हुये जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, ऐसी स्थिति में जैर निगरानी पट्टे को यथावत् रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप उपरोक्त दोनो पंचायत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत रानीकलां द्वारा अप्रार्थी वनाराम पुत्र भेराराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 27 दिनांक 20.12.2019 को अपास्त किया जाता है। निर्णय पृथक–पृथक प्रतियों में दोनों पत्रावलियों के संलग्न किया जावें। निर्णय की सत्यप्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राज.)

(डॉ. राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 13/8/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner